



2026:AHC:30566

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2747/ 2026

आशीष एवं 3 अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : कैलाश पति सिंह यादव, राकेश कुमार सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत याची द्वारा दायर पुनरीक्षण, जो वाद संख्या 2709/2025 के रूप में पंजीकृत किया गया था, के साथ अंतरिम संरक्षण प्रदान करने हेतु एक आवेदन भी दायर किया गया था।
2. याची के अधिवक्ता द्वारा केवल यह प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रथम कानपुर मंडल, कानपुर को निर्देशित किया जाए कि वे उपरोक्त आवेदन का निस्तारण शीघ्रता से करें।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से और न्याय के हित में, वर्तमान रिट याचिका को प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रथम कानपुर मंडल, कानपुर को यह निर्देश देते हुए अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है कि वे अंतरिम संरक्षण प्रदान करने के आवेदन पर विधि के अनुसार कड़ाई से, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित करें, तथा संबंधित पक्षकारों को कोई अनावश्यक स्थगन न दें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पांडिया न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"